आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101) आईटी/आकाशि/ 2019-20 / 1771 दिनांक 6-5-2020

स्मरण पत्र - IV

समस्त प्राचार्य
राजकीय /निजी/बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : **AISHE 2019-20 के लिए DCF-II दिनांक 31.05.2020 से पूर्व अपलोड करने बाबत** ।
संदर्भ : पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 3.1.2020, क्रमांक 1749 दिनांक 4.2.2020, क्रमांक 1766 दिनांक 3.3.2020, क्रमांक 1767 दिनांक 20.3.2020,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के AISHE पोर्टल (http://aishe.nic.in) पर वर्ष 2019-20 के सर्वे हेतु DCF-II हेतु अंतिम दिनांक COVID-19 महामारी के कारण 31.05.2020 तक बढ़ा दी है अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके महाविद्यालय का DCF-II पूर्व निर्धारित तिथि तक अपलोड नहीं किया गया है तो इसे **31.5.2020** से पूर्व अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।

ध्यान रहे निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की नीति अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है। निजी महाविद्यालय अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय से तकनीकी मदद के लिए विभागीय आदेश क्रमांक **F4()CCE/Policy/PI/2020/161**, दिनांक **31.5.19** का अवलोकन करलें। (ये पत्र विभागीय वेबसाइट पर सम्बंधित तिथि पर उपलब्ध है।)

समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन सामान्य निजी महाविद्यालयों व बीएड महाविद्यालयों को अपने स्तर पर दूरभाष/SMS पर उन्हें निरंतर सूचित करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें। DCF-II अपलोड करने में यदि निजी महाविद्यालयों/ बी.एड. महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता आवश्यक हो तो उन्हें महाविद्यालय में यह सहायता उपलब्ध करवाते हुए उस महाविद्यालय का DCF-II अपलोड संपन्न करवाने का श्रम करें । इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपने महाविद्यालय के AISHE नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी निजी/बीएड महाविद्यालयों को सूचित करें जिससे यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो सके।

इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. पंकज माथुर/डॉ. संदीप कुमार / श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

क्रमांक एफ.20(101) आईटी/आकाशि/ 2019-20 दिनांक

प्रतिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली ।
2. समस्त रजिस्ट्रार, संबद्धक विश्वविद्यालय को भेज कर लेख है कि वे भी अपने स्तर से संबद्ध महाविद्यालयों को सर्वे हेतु DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें जिससे राज्य में 100% अनुपालना सुनिश्चित कि जा सके ।
3. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को इस सर्वे हेतु नोडल राजकीय महाविद्यालयों को सहयोग कराते हुए संपन्न करावें।
4. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है की वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर DCF-II अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।
5. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा